#### 1-3/2017-NDRF

### Government of India Ministry of Home Affairs

# (Disaster Management Division)

3<sup>rd</sup> Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi. Dated the 21<sup>st</sup> January, 2020.

#### OFFICE MEMORANDUM

Subject: Amendment in the Recruitment Rules for the Group 'A', 'B' & 'C' technical posts in NDRF

The undersigned is directed to say that as per DoPT's O.M. No AB-14017/61/2008-Estt (RR) dated 13.10.2015 the proposal for framing / amendment of Recruitment Rules are to be uploaded in the website of respective Ministries/ Department for inviting comments from the Stakeholders.

2. Therefore the draft Recruitment Rules to the following technical posts of Group 'A', 'B' & 'C' in NDRF are uploaded on MHA website for information and appropriate action of stakeholders: -

Group	Number of Posts
Group A	36
Group B	821
Group C	1488
Growb o	2345

3. All the stakeholders are requested to go through the draft recruitment rule and furnish their comments, if any, to the undersigned within a period of one month from the date of uploading in the website. In case, no comments received within the stipulated period, the Ministry (DM Division) will proceed further for taking further necessary action for approval of draft Recruitment Rules.

(Ashish Kr. Singh)

Under Secretary to the Government of India

Tele: 011-23438103

e-mail - ashish.singh@nic.in

Encl: As above.

To,

All concerned Stakeholders

Copy to

Director, NIC, Ministry of Home Affairs, North Block New Delhi: with a request to upload the same on MHA website.

#### [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

#### Government of India Ministry of Home Affairs

#### **Notification**

New Delhi, dated the

2019

- **G.S.R.....** In exercise of the powers conferred by clause (*f*) of sub-section (2) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) read with rule 3 of the National Disaster Response Force Rules, 2008 and in supersession of the National Disaster Response Force, Group 'A' Technical posts Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Commandant (Assistant Engineer Civil/Electrical), Assistant Commandant (Medical Officer Veterinary/ Veterinary Assistant Surgeon) and Assistant Commandant (Communication/Telecom) in the National Disaster Response Force under the Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1)These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force, Assistant Commandant (Technical) Recruitment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification. No person -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, *ex*-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### Schedule

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or	Age limit for
				non-selection post.	direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant	16*(2019)	Not applicable.	Level 10 in the pay matrix	Not applicable.	Not applicable.
Commandant			Rs. 56100 - 177500.		
(Assistant Engineer	*Subject to				
Civil/Electrical).	variation				
	dependent on				
	workload				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or
promotion or by deputation/absorption and percentage of the	deputation/absorption to be made
vacancies to be filled by various methods	
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract):
	Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations—
	(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
	(ii) with twoyears' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in

posts in level 8 in pay matrix Rs. 47600 – 151100 or equivalent in the parent cadre or Department; or

with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in pay matrix Rs. 44900 - 142400 or equivalent in the parent cadre or Department; and

- (b) possessing the following educational qualifications and experience :
- (i)Bachelor Degree in Civil or Structural or Electrical Engineering from a recognised University or Institute; and
- (ii)three years' experience in execution of civil or structural or electrical works in a recognised office or organisation or institution.

Desirable: One year experience in project designing including framing data structures; data flow; report designing; complete system designing and online project implementation on the servers under secured environment

- Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.
- Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post	Age limit for direct
				or non-selection post.	recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant	16* (2019)	Not applicable.	Level 10 in the pay matrix	Not applicable.	Not applicable.
Commandant (Medical	*Subject to		Rs. 56100 – 177500.		
Officer Veterinary/	variation				
Veterinary Assistant	dependent on				
Surgeon).	work load.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various		
methods.		
(10)	(11)	
By deputation (including short-term		
contract).	Deputation (including short-term contract):	
	(a)Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations—	
	(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or	
	(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 in pay matrix Rs. 47600 – 151100 or equivalent in the parent cadre or Department; or	

with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in pay matrix Rs. 44900 – 142400 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications:-

Bachelor Degree in Veterinary Science or Animal Husbandry from a recognised University included in the First Schedule or Second Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) with registration in the Veterinary Council of India or State Veterinary Council;

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed sevenyears.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be	
	consulted in making recruitment.	
(12)	(13)	
Not applicable.	Not applicable.	

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection	Age limit for direct
				post or non-	recruits.
				selection post.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Commandant	16* (2019)	Not applicable.	Level 10 in the pay matrix	Not applicable.	Not applicable.
(Communication/Telecom).	*Subject to variation		Rs. 56100 – 177500.		
	dependent on work				
	load.				

	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
(a)Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 in pay matrix Rs. 47600 – 151100 or equivalent in the parent cadre or Department; or		
with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in pay matrix Rs. 44900 – 142400 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience:—		
(i) Bachelor Degree in Electrical or Communication Engineering or equivalent from a recognised University or Institute or Diploma in Radio and Television Technology or Electronics or Telecommunication or Computer or Electrical or Mechanical Engineering or Domestic Appliances from a recognised University or Institute.		
(ii) two years' experience in execution of communication works in a recognised office.		
Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall		

not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed sevenyears.	
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.	
Note 4: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties	

[F. No. 31-23/2007-NDM-II (SO)]
()
Under Secretary to the Government of India

### (भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ......2019

सा.का.नि. केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सहायक कमाण्डेंट, समूह (क)तकनीकी भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में सहायक कमाण्डेंट (सहायक इंजीनियर सिविल/विद्युत), सहायक कमाण्डेंट (चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा/पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक) और सहायक कमाण्डेंट (संचार/दूरसंचार) के पदों पर भर्ती की पद्वित का विनिमयन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहायक कमाण्डेंट (तकनीकी) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भर्ती नियम, 2019 है।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, <u>वेतन मैट्रिक्स</u> <u>में स्तर</u> वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्व अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वीक्त अनुसूची के सतंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.— यह व्यक्ति—
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हेंं लेखबद्ध करके, तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम।	पदों की	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए जाने वाले
	संख्या।		,,	है अथवा	जाने वाले	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
				अचयन	व्यक्तियों के लिए	शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
				पद।	आयू—सीमा।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक	16*	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
कमाण्डेंट		होता।	स्तर—10	होता।		
(सहायक इंजीनियर	(2018)		(रू.50100—177500)।			
सिविल / विद्युत)।	*कार्यभार के					
	आधार पर					
	परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी				
आहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।		जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशितता।				
(8)	(9)	(10)				
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।				
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेल	न द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया <u>ँ</u>	जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।				
(11)						

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय पैरा मिलिट्री बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :'—

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हूए हैं, या
  - (ii) मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर —8 रू. 47600—151100 या समतुल्य पद नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर 2 वर्ष की सेवा की हो। या
  - (iii) मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर –7 रू. 44900–142400 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर 3 वर्ष की सेवा की हो , और

(ख)निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताऍ और अनुभव रखते हो :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या संरचना या विद्युत इंजीनियरिंग में बेचलर डिग्री, और
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त कार्यालय, या संगठन या संस्था से सिविल या संरचना या विद्युत कार्य के निष्पादन में 3 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय : प्रोजेक्ट डिजाइनिंग जिसमें डाटा संरचनाओं की विरचना सम्मिलित है, डाटा फलो, रिपोर्ट डिजाइनिंग, पूर्ण सिस्टम डिजाइनिंग और सुरक्षित पर्यावरण के आधीन ऑनलाइन प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में 1 वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तब्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

## अनुसूची

पद का नाम।	पदों की	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए जाने वाले
	संख्या।			अथवा	जाने वाले व्यक्तियों	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
				अचयन पद।	के लिए	शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
					आयू—सीमा।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक	16*	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
कमाण्डेंट		होता।	स्तर—10	होता।		
(चिकित्सा	(2018)		(रू.56100—177500)।			
अधिकारी पशु	*कार्यभार के					
चिकित्सा / पशु	आधार पर					
चिकित्सा सहायक	परिवर्तन किया					
शल्य चिकित्सक)।	जा सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति
व्यक्तियों के लिए विहित आयु	हो ।	/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों
और शैक्षिक आहर्ताएं प्रोन्नत		की प्रतिशितता।
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

# प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा। (11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः

- (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय पैरा मिलिट्री बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :'—
  - (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
  - (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर—8 (रू.47600—151100) या समतुल्य पद नियमित आधार पर नियुक्ति के पष्चात् उस पद पर 2 वर्ष की सेवा की हो। या
  - (iii) मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर—7 (रू.44900—142400)या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर 3 वर्ष की सेवा की हो , और

### (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हो :

(i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या राज्य पशु चिकित्सा परिषद में रिजस्ट्रीकरण के साथ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान या पशु पालन में बेचलर डिग्री,

टिप्पण1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तब्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

### अनुसूची

			· .3 % ··			
पद का नाम।	पदों की	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है	सीधे भर्ती	सीधे भर्ती किए जाने वाले
	संख्या।			अथवा	किए जाने	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
				अचयन पद।	वाले व्यक्तियों	शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
					के लिए	
					आयू—सीमा।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सहायक कमाण्डेंट	16*	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं होता।
(संचार/		होता।	(रू. 56100—177500)।	होता।	होता।	
दूरसंचार)।	(2018)					
	*कार्यभार के					
	आधार पर					
	परिवर्तन					
	किया जा					
	सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या
के लिए विहित आयु और शैक्षिक	हो।	प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
आहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में		जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशितता।
लागू होंगी।		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

## प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा। (11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः

- (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय पैरा मिलिट्री बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :'—
  - (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हूए हैं, या
  - (ii) मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रू.47600—151100) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर 2 वर्ष की सेवा की हो। या

- (iii) मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रू.44900—142400) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस पद पर 3 वर्ष की सेवा की हो और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हो :
  - (i) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत / संचार इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से रेडियो और टेलीविजन प्रौद्यिगिकी या इलैक्ट्रीनिक्स या इंजीनियरी संचार या कम्प्यूटर या विद्युत या यांत्रित इंजीनियरी या स्वदेशी साधित्र में डिप्लोमा हो।
  - (ii) किसी मान्यता प्राप्त कार्यालय में संचार कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण2 : टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण3 : प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक अवधि सिहत द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण4 : अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्ट या योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिसमें कर्तब्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा पड़ने की संभावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
	किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(फा.सं. 31-23 / 2007-ए.आ.प्र-11(एस.ओ.)

(				)
	अवर	सचिव,	भारत	सरकार

## [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

### Government of India Ministry of Home Affairs

#### **Notification**

New Delhi, dated the

2019

- G.S.R.......— In exercise of the powers conferred by clause (*f*) of sub-section (2) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) read with rule 3 of the National Disaster Response Force Rules, 2008 and in supersession of the National Disaster Response Force, Group 'B' Technical Posts Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Junior Engineer), Inspector (Pharmacist), Inspector (Radio Operator), Inspector (Radio Mechanic/Junior Electrical Technician), Sub Inspector (Pharmacist), Sub Inspector (Motor Mechanic), Sub Inspector (Veterinary), Sub-Inspector (Junior Engineer Civil/Structural), Sub Inspector (Junior Engineer Electrical), Sub Inspector (Radio Operator) and Sub Inspector (Radio Mechanic/Junior Electrical/Telecommunication Technician)in the National Disaster Response Force under the Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1)These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force, Level 7 and Level 6 (Technical posts) Recruitment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification. No person -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, *ex*-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### Schedule

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector (Junior Engineer).	*Subject to variation dependent on workload *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 7 in the pay matrix Rs. 44900 - 142400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or	
promotion or by deputation/absorption and percentage of the	deputation/absorption to be made.	
vacancies to be filled by various methods.		
(10)	(11)	
By deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract):	
	Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—	
	(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or	
	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6 in pay matrix Rs. 35400 – 112400 or equivalent in the parent cadre or Department; and	
	(b) possessing the following educational qualifications:-	

Three years' Diploma in Civil or Structural or Electrical Engineering or equivalent from a recognised University or Institute; and

twoyears' experience in execution of civil or structural works from a recognised office or organisation or institution.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post	Age limit for direct
				or non-selection post.	recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Inspector	16* (2019)	Not applicable.	Level 7 in the pay matrix	Not applicable.	Not applicable.
(Pharmacist).	*Subject to		Rs. 44900 – 142400.		
	variation dependent				
	on work load.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation (including short-term	Deputation (including short-term contract):
contract).	(a)Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—
	(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400 or equivalent in the parent cadre or Department; and
	(b) possessing the following educational qualifications:—
	(i) Diploma in Pharmacy from a recognised University or Board and registered as Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948; and
	(ii) two years' experience as Pharmacist in a recognised office or organisation or institution
	Note 1:The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term

contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.
Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be	
	consulted in making recruitment.	
(12)	(13)	
Not applicable.	Not applicable.	

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post	Age limit for direct recruits.
				or non-selection post.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Inspector (Radio	17* (2019)	Not applicable.	Level 7 in the pay	Not applicable.	Not applicable.
Operator).	*Subject to variation		matrix Rs. 44900 -		
	dependent on work		142400.		
	load.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
	(11)	(12)	(13)
-	Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
	Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
	(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6in the pay matrix Rs. 35400 - 112400or equivalent in the parent cadre or Department; and		
	(b) possessing the following educational qualifications:—		
	(i)Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;		
	(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics or equivalent from a recognised Board or University or Institute;		
	(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.		
	Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.		
	Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.  Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.		

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post	Age limit for direct
				or non-selection post.	recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Inspector (Radio	17* (2019)	Not applicable.	Level 7 in the pay matrix	Not applicable.	Not applicable.
Mechanic/Junior Electrical	*Subject to variation		Rs. 44900 – 142400.		
Technician).	dependent on work				
	load.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6 in the pay matrix Rs. 35400 - 112400 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience:—		
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board; and		
(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television Technology or Electronics or Telecommunication or Computer or Electrical or Mechanical or Domestic Electronic Appliances from a recognised Board or University or Institute;		
(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.		
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.		

Note 3: The candidates shall be medically fit and	
having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient	
performance of the duties.	

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post	Age limit for direct
				or non-selection post.	recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Sub Inspector	65* (2019)	Not applicable.	Level 6 in the pay matrix	Not applicable.	Not applicable.
(Pharmacist).	*Subject to variation		Rs. 35400 – 112400.		
	dependent on work				
	load.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/	If a Departmental Promotion Committee exists, what is	Circumstances in which Union Public
absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	its composition.	Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or		
(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience:—		
(i) 12 <sup>th</sup> Class pass or equivalent pass from a recognised Board or University;		
(ii) diploma in Pharmacy from a recognised Institute and registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948);		
(iii) two years' experience as Pharmacist in any recognised Hospital or Pharmacy after duly registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).		
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held		

immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.	
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.	
Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.	

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Sub Inspector (Motor Mechanic).	16* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is	Circumstances in which Union Public
1.	Service Commission to be consulted in
	making recruitment.
` '	(13)
Not applicable.	Not applicable.
r - ere e rin rin i rg ngiri	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.  (12)  Not applicable.

Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.	
performance of the duties.	

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Sub Inspector (Veterinary).	16* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in
deputation/absorption to be made.	its composition.	making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or		
(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications:—		
(i) Diploma in Veterinary and Livestock Development or Veterinary Stock Assistant Course or Animal Husbandry Course from a recognised University or Institute; and		
(ii) two years' fieldexperience in the treatment of various species of animals particularly equine and canine from any recognised veterinary hospital and able to manage or run veterinary hospital or dispensary.		
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or		

some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.	
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.	
Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.	

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1) 8. Sub Inspector (Junior Engineer Civil/Structural)	(2) 289* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	(3) Not applicable.	(4) Level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400.	(5) Not applicable.	(6) Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.		Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).	

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in
deputation/absorption to be made. (11)	(12)	making recruitment. (13)
(11)	\ /	Not applicable.
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or		
(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience:—		
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;		
(ii) diploma in Civil Engineering or Structural Engineering from a recognised Board or University or Institute;		
(iii) two years' experience in execution of civil or structural works from a recognised office or organisation or institution.		
Note 1:The period of deputation (including short-term		

contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.	
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.	
Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.	

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Sub Inspector (Junior Engineer Electrical).	288* (2019) *Subject to variation dependent on work load.		Level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in
deputation/absorption to be made.	its composition.	making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or		
(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience:—		
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;		
(ii) diploma in Electrical Engineering from a recognised Board or University or Institute;		
(iii) two years' experience as electrical supervisor in a recognised office or organisation or institution.		
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central		

Government shall ordinarily not exceed seven years.	
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.	
Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.	

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or	Age limit for di
				non-selection post.	recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Sub Inspector (Radio	320* (2019)	Not applicable.	Level 6 in the pay matrix	Not applicable.	Not applicable.
Operator).	*Subject to variation		Rs. 35400 – 112400.		
	dependent on work				
	load.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or		
(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience:—		
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;		
(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics or equivalent from a recognised Board or University or Institute;		
(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.		
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.		

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.	
Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.	

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection	Age limit for direct
				post or non-	recruits.
				selection post.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Sub Inspector (Radio Mechanic/Junior	32* (2019)	Not applicable.	Level 6 in the pay	Not applicable.	Not applicable.
Electrical/Telecommunication/Technician).	*Subject to variation		matrix Rs. 35400-		
	dependent on work		112400.		
	load.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/	If a Departmental Promotion Committee exists, what is	Circumstances in which Union Public
absorption, grades from which promotion or	its composition.	Service Commission to be consulted in
deputation/absorption to be made. (11)	(12)	making recruitment. (13)
	Not applicable.	Not applicable.
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Two applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix Rs. 29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or Department; or		
(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience:—		
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;		
(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics or Telecommunication or Computer or Electrical or Mechanical or Domestic Appliances or equivalent from a recognised Board or University or Institute;		
(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.  Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held		

	immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.	
	Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.	
- 1	Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.	

	[F. No. 31-23/2007-NDM-II (SO)]
Un	() der Secretary to the Government of India

# [भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार गृह मंत्रालय

#### अधिसूचना

	$\Delta$		0040
नड	[다전에]	ताराख	 2019
٠.	, ,	, , . <del>_</del> .	 

सा.का.नि. ...... – केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियम , 2008 के नियम 3 के साथ पठित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल समूह 'ख' तकनीकी पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में निरीक्षक (कनिष्ठ इंजीनियर), निरीक्षक (भेषजज्ञ), निरीक्षक (रेडियो आपरेटर), निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक/कनिष्ठ विद्युत तकनीशियन), (भेषजज्ञ), उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक), उप निरीक्षक (पशु चिकित्सा), उप निरीक्षक (कनिष्ठ इंजीनियर सिविल/संरचना), उप निरीक्षक (कनिष्ठ इंजीनियर विद्युत), उप निरीक्षक (रेडियो आपरेटर) और उप निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक/कनिष्ठ विद्युत/दूरसंचार तकनीशियन) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्तर 7 और स्तर 6 (तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पदों का नाम, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्घ वेतन मैट्रिक्स के स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. <u>भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि</u>: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अन्सूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. **निर्रहता** : वह व्यक्ति--
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. <u>शिथिल करने की शक्ति</u>: जहां केद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. <u>व्यावृत्ति</u> : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने
			स्तर	अथवा	वाले व्यक्तियों के लिए
				अचयन पद	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक	17* (2019)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं होता
(कनिष्ठ			स्तर 7	होता	
इंजीनियर)	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)		44900-		
	नारपराण मिला जा सकता है।)		142400/- रुपए		

सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
वाले व्यक्तियों के लिए	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	अवधि, यदि	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा
अपेक्षित शैक्षिक और	अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	कोई हो ।	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों
अन्य अर्हताएं	लागू होंगी या नहीं ।		की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(-)		(0)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा
		होता	भी है)

### प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

# प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया ह्आ है ; या

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, 35,400-112,400 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :--

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या संरचना या इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य ; और

किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से सिविल या संरचना कार्य के निष्पादन में दो वर्ष का अनुभव।

िटप्पण 1--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लाग् नहीं होता	लाग् नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. निरीक्षक	16* (2019)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं होता
(भेषजज्ञ)			स्तर 7	होता	
	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)		44900- 142400/- रुपए		

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	अवधि, यदि	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	कोई हो ।	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
	लागू होंगी या नहीं ।		रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)

(11)

#### प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, 35,400-112,400 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :--
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से भेषजी में डिप्लोमा और भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत ; और
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से भेषजज्ञ के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से	
	परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने
			स्तर	अथवा	वाले व्यक्तियों के लिए
				अचयन पद	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. निरीक्षक	17* (2019)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं होता
(रेडियो			स्तर 7	होता	
आपरेटर)	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है		44900- 142400/- रुपए		
	1)				

सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के		परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या
व्यक्तियों के लिए	लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं	अवधि, यदि	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन
अपेक्षित शैक्षिक और	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	कोई हो ।	द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
अन्य अर्हताएं	या नहीं ।		जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
		होता	संविदा भी है)
		, ,	,

(11)

## प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, 35,400-112,400 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर

निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और

- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :--
- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्लेशन या समत्ल्य उत्तीर्ण ;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलैक्ट्रानिकी में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र या समत्ल्य ;
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव ।

िटप्पण 1--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अविध, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अविधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

िटप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने
			स्तर	अथवा	वाले व्यक्तियों के लिए
				अचयन पद	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. निरीक्षक (रेडियो	17* (2019)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं होता
मैकेनिक/कनिष्ठ			स्तर 7	होता	
विद्युत तकनीशियन)	*(कार्यभार के आधार पर		44900-		
	परिवर्तन किया जा सकता है ।)		142400/- रुपए		

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
व्यक्तियों के लिए	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	अवधि, यदि	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा
अपेक्षित शैक्षिक और	अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	कोई हो ।	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों
अन्य अर्हताएं	लागू होंगी या नहीं ।		की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(-)	(=)	(0)	` ,
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा
		होता	भी है)

(11)

#### प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य प्लिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया ह्आ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, 35,400-112,400 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--
- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ; और
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन प्रौद्योगिकी या इलैक्ट्रानिकी या दूरसंचार या कम्प्यूटर या विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी या स्वदेशी साधित्र में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र ;
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव ।

िटप्पण 1--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अविध, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अविधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले
			स्तर	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु-
					सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप निरीक्षक	65* (2019)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(भेषजज्ञ)			स्तर 6		
	*(कार्यभार के आधार पर		35400-		
	परिवर्तन किया जा सकता		112400/- रुपए		
	है ।)				

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
व्यक्तियों के लिए	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	अवधि, यदि	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा
अपेक्षित शैक्षिक और	अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	कोई हो ।	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों
अन्य अर्हताएं	लागू होंगी या नहीं ।		की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा
		होता	भी है)

(11)

# प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अन्भव रखते हों :--
- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समत्ल्य उत्तीर्ण ;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से भेषजी में डिप्लोमा और भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत ;
- (iii) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजज्ञ के रूप में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या फार्मेसी में भेषजज्ञ के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

िटप्पण 1--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अविध, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अविधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लाग् नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने
			स्तर	अथवा अचयन	वाले व्यक्तियों के लिए
				पद	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. उप निरीक्षक	16* (2019)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(मोटर मैकेनिक)	*(कार्यभार के आधार पर		स्तर 6		
	परिवर्तन किया जा सकता		35400-112400/-		
	है ।)		रुपए		

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	व्यक्तियों के लिए विहित आयु	अवधि, यदि	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत	कोई हो ।	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		रिक्तियों की प्रतिशतता
	या नहीं ।		
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
		होता	संविदा भी है)

(11)

### प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया ह्आ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :--

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से आटो मोबाइल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी या आटो विद्युत इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लाग् नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. उप निरीक्षक	16* (2019)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं होता
(पशु चिकित्सा)			स्तर 6	होता	
	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)		35400- 112400/- रुपए		

सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
वाले व्यक्तियों के लिए	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	अवधि, यदि	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा
अपेक्षित शैक्षिक और	अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	कोई हो ।	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
अन्य अर्हताएं	लागू होंगी या नहीं ।		रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
लागू नहां हाता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)

# प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार

पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या

- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :--
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा और पशुधन विकास या पशु चिकित्सा स्टॉक सहायता पाठ्यक्रम या पशुपालन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा ;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त पशु अस्पताल से पशुओं, विशेषतः घोड़ों और कुत्तों की विभिन्न जातियों के इलाज के क्षेत्र में दो वर्ष का अन्भव और पश् अस्पताल और डिस्पेंसरी के प्रबंधन और संचालन में सक्षम होना चाहिए ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लाग् नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले
			स्तर	अथवा अचयन	व्यक्तियों के लिए आयु-
				पद	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. उप निरीक्षक	289* (2019)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(कनिष्ठ			स्तर 6		
इंजीनियर	*(कार्यभार के आधार पर		35400-		
सिविल/संरचना)	परिवर्तन किया जा सकता है		112400/- रुपए		
	1)				

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	की अवधि,	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा	यदि कोई	द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
	में लागू होंगी या नहीं ।	हो ।	जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(7)	(8)	(9)	(10)
(7) लागू नहीं होता	(8) लाग् नहीं होता	(9) लागू नहीं	(10) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
			. ,

(11)

### प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया ह्आ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--
- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी या संरचना इंजीनियरी में डिप्लोमा ;
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से सिविल या संरचना कार्य के निष्पादन में दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	सीधे भर्ती किए
			स्तर	अथवा अचयन	जाने वाले
				पद	व्यक्तियों के लिए
					आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. उप निरीक्षक	288* (2019)	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(कनिष्ठ		होता	स्तर 6		
इंजीनियर	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन		35400-		
विद्युत)	किया जा सकता है ।)		112400/- रुपए		

सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या
वाले व्यक्तियों के लिए	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	अवधि, यदि	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन
अपेक्षित शैक्षिक और	अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	कोई हो ।	द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
अन्य अर्हताएं	लागू होंगी या नहीं ।		जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लाग् नहीं	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
		होता	संविदा भी है)

(11)

## प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार

पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या

- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--
- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा ;
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान में विद्युत पर्यवेक्षक के रूप में दो वर्ष का अन्भव ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. उप निरीक्षक (रेडियो आपरेटर)	320* (2019)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35400- 112400/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
वाले व्यक्तियों के	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	अवधि, यदि	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा
लिए अपेक्षित	अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	कोई हो ।	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों
शैक्षिक और अन्य	लागू होंगी या नहीं ।		की प्रतिशतता
अर्हताएं			
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

#### प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया ह्आ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अन्भव रखते हों :--
- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक्लेशन या समत्ल्य उत्तीर्ण ;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलैक्ट्रानिकी या समतुल्य में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र या समतुल्य ;
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	सीधे भर्ती किए
			स्तर	अथवा	जाने वाले
				अचयन	व्यक्तियों के लिए
				पद	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. उप निरीक्षक	32* (2019)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं होता
(रेडियो			स्तर 6	होता	
मैकेनिक/कनिष्ठ	*(कार्यभार के आधार पर		35400-		
विद्युत/दूरसंचार	परिवर्तन किया जा सकता		112400/- रुपए		
तकनीशियन)	है ।)				

सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
वाले व्यक्तियों के	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	अवधि, यदि	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा
लिए अपेक्षित	अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	कोई हो ।	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों
शैक्षिक और अन्य	लाग् होंगी या नहीं ।		की प्रतिशतता
अर्हताएं			
(7)	(8)	(9)	(10)
(7) लागू नहीं होता	(8) लागू नहीं होता	(9) लागू नहीं	(10) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा

(11)

## प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, 29,200-92,300 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, 25,500-81,100 रु0 या समतुल्य के पदों पर नियमिति आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--

- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलैक्ट्रानिकी या दूरसंचार या कम्प्यूटर या विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी या स्वदेशी साधित्र या समत्ल्य में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र ;
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से क्षेत्र में दो वर्ष का अन्भव ।

िटप्पण 1--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लाग् नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा.सं0 31-23/2007-एनडीएम-2(एसओ))]	
(	
अवर सचिव, भारत सरकार	

### [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

### Government of India Ministry of Home Affairs

#### **Notification**

New Delhi, dated the

2019

- **G.S.R.....** In exercise of the powers conferred by clause (*f*) of sub-section (2) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) read with rule 3 of the National Disaster Response Force Rules, 2008 and in supersession of the National Disaster Response Force, Technical Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Head Constable, Head Constable (Radio Operator), Head Constable (Crypto), Head Constable (Radio Fitter/Radio Technician), Head Constable (Auxiliary Nursing/Midwifery), Head Constable (Paramedics), Head Constable (Technician), Head Constable (Electrician) and Constable in the National Disaster Response Force under the Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1)These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force, Level 4 and Level 3 (Technical posts) Recruitment Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification. No person -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, *ex*-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### Schedule

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Head Constable.	64*(2019) (1) Carpenter - 16 (2) Welder – 16 (3) Plumber – 16 (4) Mason - 16  *Subject to variation dependent on workload *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract):
	Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—
	(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department.
	(b) possessing the following educational qualifications and experience:—
	(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;
	(ii) One year certificate course from Industrial Training Institute or Vocational Training with at least one year experience in the trade; or
	(iii) two years Diploma from Industrial Training Institute in the trade or similar trade.
	Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.
	Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.
	Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1) 2. Head Constable (Radio Operator).	(2) 496* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	(3) Not applicable.	(4) Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100	(5) Not applicable.	(6) Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.				
(10)	(11)				
By deputation (including short-term contract).					
Contracty	(a)Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—				
	(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or				
	(ii)with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and				
	(b) possessing the following educational qualifications and experience:—				
	(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;				
	(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics or equivalent from a recognised Board or University or Institute.				
	Note 1:The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.				
	Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.				
	Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties				

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be
	consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	C
(1) 3. Head Constable (Crypto).	(2) 16* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	(3) Not applicable.	(4) Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100.	(5) Not applicable.	(6) Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion ordeputation/absorption to be made.	_	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications:—		
(i)Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;		
(ii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.		
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.		
Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.		

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or	Age limit for
				non-selection post.	direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Head Constable (Radio	16* (2019)	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs.	Not applicable.	Not applicable.
Fitter/Radio Technician).	*Subject to variation		25500 - 81100.		
	dependent on work				
	load.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience:—		
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;		
(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics or equivalent from a recognised Board or University or Institute; or		
(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.		
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.  Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.		

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or	Age limit for direct
				non-selection post.	recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Head Constable (Auxiliary Nurse/Midwifery).	*Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in
deputation/absorption to be made.	no composition.	making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications:—		
(i) 12 <sup>th</sup> Class pass or equivalent pass from a recognised Board or University;		
(ii) diplomaor certificate course in Auxiliary Nurse Midwifery from a recognised Institute.  Desirable:  Experience and training in family welfare from any recognised office or institution.		
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.  Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.		

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post	Age limit for direct
				or non-selection post.	recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Head Constable	246* (2019)	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix Rs.	Not applicable.	Not applicable.
(Paramedics).	*Subject to		25500 – 81100.		
	variation dependent				
	on work load.				

Educational and other qualifications	Whether age and educational	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct
required for direct recruits.	qualifications prescribed for direct		recruitment or by promotion or by
	recruits will apply in case of		deputation/absorption and percentage of
	promotees.		the vacancies to be filled by various
			methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term
			contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
((ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications:—		
(i) 12 <sup>th</sup> Class pass or equivalent pass from a recognised Board or University;		
(ii) having certificate of successful completion of qualified Nursing Assistant from a recognised Hospital or Institution or having completed Advance Medical Course from Army or Central Para Medical Forces.		
Desirable: Experience and training in recognised office or institution or Hospital.		
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.		
Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.		

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or	Age limit for direct
				non-selection post.	recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Head Constable	288* (2019)	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix	Not applicable.	Not applicable.
(Technician).	*Subject to variation		Rs. 25500 – 81100.		
	dependent on work				
	load.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience:—		
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;		
(ii) two years' Industrial Training Institute certificate in Blacksmith or Fitter Mechanists or Instrumentation or Motor or Engine Mechanics or equivalent from a recognised Board or University or Institute; and		
(iii) three years' experience in respective trade in a recognised office.		
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.		
Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.		

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-	Age limit for direct
				selection post.	recruits.
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Head Constable	288* (2019)	Not applicable.	Level 4 in the pay matrix	Not applicable.	Not applicable.
(Electrician)	*Subject to variation		Rs. 25500 – 81100.		
	dependent on work				
	load.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/	If a Departmental Promotion Committee exists, what	Circumstances in which Union Public
absorption, grades from which promotion or	is its composition.	Service Commission to be consulted in
deputation/absorption to be made.	is its composition.	making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 3 in pay matrix Rs. 21700 – 69100 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications:—		
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Boar; and (ii) two years' Industrial Institute certificate in Electrician trade from a recognised Institute;		
(iii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.		
Note 1:The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.		
Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.		

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Constable.	160* (2019) (1) Carpenter - 32 (2) Welder - 16 (3) Plumber - 32 (4) Mason - 32 (5) Cobbler - 16 (6) Tailor - 16 (7) Painter - 16  *Subject to variation dependent on work load.	Not applicable.	Level 3 in the pay matrix Rs. 21700 - 69100.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of
			the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not applicable.	Not applicable.
Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central Police organisations or State Police Organisations,—		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
<ul><li>(ii) two years' experience in the field from a recognised office or organisation or institution.</li><li>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</li></ul>		
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board;		
(ii) One year certificate course from Industrial Training Institute or Vocational Training with at least one year experience in the trade; or (iii) two years Diploma from Industrial Training Institute in the trade or similar trade.		
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding forty five years as on the closing date of receipt of applications.		
Note 3: The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties.		

#### (भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार गृह मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ......2019

सा.का.नि....... केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियम, 2018 के नियम 3 के साथ पठित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 75 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तकनीकी समूह 'ग' पद भर्ती नयम, 2010 उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में हैड कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल (रेडियो आपरेटर), हैड कांस्टेबल (गुप्त), हैड कांस्टेबल (रेडियो फिटर / रेडियो तकनीशियन), हैड कांस्टेबल (सहायक नर्सिंग / प्रसूति—विद्या), हैड कांस्टेबल (पैरामेडिक्स), हैड कांस्टेबल (तकनीशियन), हैड कांस्टेबल (विद्युतंत्री / बिजली मिस्त्री) और कांस्टेबल पदों पर भर्ती की पद्यति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, स्तर—4 और स्तर—3 (तकनीकी पद) भर्ती नियम 2019 है।

- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्व अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त /पूर्वोक्त अनुसूची के सतंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.-यह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हेंं लेखबद्व करके, तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए जाने वाले
				है अथवा	जाने वाले व्यक्तियों	
				अचयन	के लिए आयूसीमा।	और अन्य अहर्ताएं।
				पद।		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. हैड	64*	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
कांस्टेबल।		होता ।	4	होता।		
	(2019)		(ক্ত0.25500—81100)			
	(1) बढ़ई — 16					
	(2) बैल्डर — 16					
	(3) नलसाज —16					
	(4) राजमिस्त्री –16					
	*कार्यभार के आधार पर					
	परिवर्तन किया जा					
	सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।		रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।
-		-

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों या केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी :'—

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर —3 (रू.21700—69100) या इसके सदृश इस श्रेणी में, नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखता हो :--
  - (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो,
- (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या व्यवसायिक संस्थान से एक वर्षीय प्रमाण पत्र के साथ व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।
- (iii) व्यवसाय में या उसी प्रकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सिहत (अल्पकालिक संविदा सिहत), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले
			स्तर।	अथवा अचयन	वाले व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक
				पद।	लिए आयूसीमा।	और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. हैड कांस्टेबल	496*	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(रेडियो		होता।	स्तर ४	होता।		
आपरेटर)।	(2019)		(रू.25500—81100)।			
	*कार्यभार के					
	आधार पर परिवर्तन					
	किया जा सकता					
	है।					

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति
	/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
	रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।
	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। (9) लागू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः

- (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों या केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :'
  - (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर —3 (रू.21700—69100) या इसके सदृश श्रेणी में, नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और
  - (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखता हो :-
  - (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो,
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलेक्ट्रोनिक्स या समकक्ष में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सिहत (अल्पकालिक संविदा सिहत), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है		सीधे भर्ती किए जाने वाले
			स्तर।	अथवा	वाले व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक
				अचयन पद।	लिए आयूसीमा।	और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. हैड कांस्टेबल	16*	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(गुप्त)।		होता।	4 (ফ্.	होता।		
	(2019)		25500—81100)			
	*कार्यभार के					
	आधार पर परिवर्तन					
	किया जा सकता					
	है					

अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति
	/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
	रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
ु नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।
	(9) ाू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों या केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :'

- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
  - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर —3 (रू०.21700—69100)या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो , और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :--
- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो,
- (ii) किसी मान्यता कार्यालय या संगठन या संस्थान से इस क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सिहत (अल्पकालिक संविदा सिहत), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले
			स्तर।	अथवा	वाले व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक
				अचयन पद।	लिए आयू सीमा।	और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. हैड कांस्टेबल	16*	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(रेडियो फिटर/		होता।	4 (रू.	होता।		
रेडियो	(2019)		25500-81100)			
तकनीशियन)।	,					
	*कार्यभार के					
	आधार पर परिवर्तन					
	किया जा सकता					
	है।					

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति
	/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
	रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।
	(9)

प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित)ः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों या केंद्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :'—

- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर —3 (रू.21700—69100)या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो , और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :--
- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो,
- (ii) किसी मान्यता बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियो और टेलीविजन या इलैक्ट्रोनिक्स में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दो वर्ष का प्रमाणपत्र हो,
  - (iii) किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से इस क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सिहत (अल्पकालिक संविदा सिहत), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले
				अथवा	वाले व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक
				अचयन पद।	लिए आयू–सीमा।	और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. हैड कांस्टेबल	410*	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(सहायक		होता।	4 (ক্.	होता।		
नर्सिंग /	(2019)		25500-81100)			
प्रसूति–विद्या)।	(====)					
	*कार्यभार के					
	आधार पर परिवर्तन					
	किया जा सकता					
	है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	
शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों		/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
की दशा में लागू होंगी।		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों या केंद्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :'—

- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर —3 (रू.21700—69100)या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो , और
  - (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :--
  - (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष पास हो,
  - (ii) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सहायक नर्सिंग या प्रसूति-विद्या में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

#### वांछनीयः

किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संस्थान से परिवार कल्याण में अनुभव और प्रशिक्षण।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सिहत (अल्पकालिक संविदा सिहत), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष किया
	जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले
				है अथवा	वाले व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक
				अचयन	लिए आयू सीमा।	और अन्य अहर्ताएं।
				पद।		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. हैड कांस्टेबल	246*	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(पैरामेडिक्स)।		होता।	(रू.25500—81100)।	होता।		
	(2019)					
	*कार्यभार के					
	आधार पर परिवर्तन					
	किया जा सकता					
	है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति
व्यक्तियों के लिए विहित आयु और		/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों		रिक्तियों की प्रतिशतता।
की दशा में लागू होंगी।		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केंद्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :--

- (क) (i) मूल काडर याविभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
  - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रू.21700-69100) या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष

की नियमित सेवा की हो, और

- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :--
  - (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष पास हो,
- (ii) जिनके पास किसी सेना या केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों या मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थाओं से अर्हित निसंग सहायक / उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र है।

वांछनीय

किसी मान्यताप्राप्त कार्यालय या संस्थान या अस्पताल में कार्य करने का अनुभव और प्रशिक्षण।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सिहत) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सिहत (अल्पकालिक संविदा सिहत), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है		सीधे भर्ती किए जाने वाले
			स्तर।	अथवा	वाले व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक
				अचयन पद।	लिए आयू सीमा।	और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. हैड कांस्टेबल	288*	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(तकनीशियन)।		होता।	4 (ক্.	होता।		
	(2019)		25500—81100)			
	*कार्यभार के					
	आधार पर परिवर्तन					
	किया जा सकता					
	है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति
व्यक्तियों के लिए विहित आयु और		/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों		रिक्तियों की प्रतिशतता।
की दशा में लागू होंगी।		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो:--

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर —3 (रू.21700—69100)या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :--
  - (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो,
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से लुहार या फिटर यांत्रिक या उपकरण या मोटर या इंजन मैकेनिक्स या इनके समकक्ष जैसे व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दो वर्ष का प्रमाण पत्र , और
  - (iii) मान्यताप्राप्त कार्यालय से अपने-अपने व्यवसाय में तीन वर्षों का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सिहत (अल्पकालिक संविदा सिहत), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले
			स्तर।	अथवा	वाले व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
				अचयन पद।	लिए आयू सीमा।	शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. हैड कांस्टेबल	288*	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(बिजली मिस्त्री)।		होता।	<b>4</b> (रू.	होता।		·
	(2019)		25500—81100)			
	*कार्यभार के					
	आधार पर					
	परिवर्तन किया जा					
	सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति
व्यक्तियों के लिए विहित आयु और		/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों		रिक्तियों की प्रतिशतता।
की दशा में लागू होंगी।		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों या केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :'—

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

- (ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर –3 (रू.21700–69100) या इसके सदृश श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो , और
  - (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :--
  - (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो,
  - (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बिजली मिस्त्री व्यवसाय में औद्योगिक संस्थान से दो वर्ष का प्रमाण पत्र,
  - (iii) मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से इस क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सिहत (अल्पकालिक संविदा सिहत), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए जाने वाले
			स्तर।	अथवा अचयन	जाने वाले	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
				पद।	व्यक्तियों के लिए	शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
					आयू सीमा।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. कांस्टेबल।	160*	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
		होता ।	3 (रू.	होता।		
	(2019)		21700—69100)			
	(1) बढ़ई — 32					
	(2) बैल्डर — 16					
	(3) नलसाज —32					
	(4) राजमिस्त्री —32					
	(5) मोची — 16					
	(6) दर्जी — 16					
	(7) पेंटर — 16					
	*कार्यभार के आधार पर					
	परिवर्तन किया जा सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति
विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत		/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।		रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

many control control of the same of the sa
प्रान्नात / प्रातानयाक्त - / आमलन द्वारा भेता का देशा में व श्राणया जिनस प्रान्नात या प्रातानयाक्त / आमलन किया जाएगा।
$\langle A A \rangle$
(11)
many (and the side of the side

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों या केंद्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :'

- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) मान्यताप्राप्त कार्यालय या संगठन या संस्थान से इस क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखता हो :--
  - (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष पास हो,
  - (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या व्यवसायिक संस्थान से एक वर्षीय प्रमाण पत्र के साथ व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।
- (iii) व्यवसाय में या उसी प्रकार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सिहत (अल्पकालिक संविदा सिहत), साधारणतया 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3ः अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टया योग्य और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और एसी किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा डालने की सम्भावना हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(फा.सं. 31–23 / 2007–एन.डी.एम.–II (एस.ओ.)

1			`
(		•••••	
अवर	सचिव	भारत	सरकार